संख्या-111 /2022/814/001-23-10-22-46-सा0-2022

प्रेषक,

अभय कुमार ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर,2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत अयोध्या क्षेत्र के कुल 06 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-1117/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/ए0डी0वाई0/2022-23 दिनांक 18.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत अयोध्या क्षेत्र के कुल 06 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि रू0 397.21 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तानबें लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड / जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अयोध्या	नि.-.ख.3 बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के वि0स0 फतेहपुर में खैरा बेहटी सम्पर्क मार्ग के किमी-4 पर स्थित नहर पर 2x5 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु के निर्माण कार्य।	76.67	11.43	65.24	0.00	0.00	65.24	**35.46**	**9.54**	**45.00**
2	अयोध्या	नि.-.ख.3 बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में इंटौंजा-महोना-कुम्हरावा-कुर्सी-देवा-चिनहट (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी0-28 में स्थानीय नाले पर 2 x6 मी0 आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट (लघु सेतु) एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	160.02	15.00	145.02	1.51	0.00	143.51	**90.61**	**24.39**	**115.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड / जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	अयोध्या	नि.-.ख.4 अयोध्या	जनपद फैजाबाद के ब्लाक अमानीगंज के अंतर्गत कोटिया बकचुना से सैदपुर बेतवा नाले पर 3x18 मी0 स्पान सेतु का निर्माण।	406.90	285.95	120.95	8.69	0.00	112.26	**88.44**	**23.81**	**112.25**
4	अयोध्या	नि.ख. अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकर नगर मं विधान सभा आलापुर के अन्तर्गत जनेसरी बुजुर्ग में पिकिया नाले पर 10x4 मीलघु स्पान के . सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	187.66	11.43	176.23	3.04	0.00	173.19	**61.46**	**16.54**	**78.00**
5	अयोध्या	नि.-.ख.3 सुल्तानपुर	जनपद सुल्तापुर में विधान सभा लम्भुआ के अन्तर्गत उतुरी बरूआ सम्पर्क मार्ग के गोमती नदी के कटसारी घाट पर पान्टून सेतु के निर्माण कार्य।	44.07	20.35	23.72	7.09	0.00	16.63	**13.10**	**3.53**	**16.63**
6	अयोध्या	प्रा.ख. अमेठी	जनपद अमेठी में सेठा विशेषरगंज संग्रामपुर धौरहरा सम्पर्क मार्ग के किमी-09 में क्षतिग्रस्त 3x5.75 मी0 लघु सेतु के स्थान पर 2 x12.50 मी0 आर0सी0सी0 बॉक्स लघु सेतु पहुँच मार्ग	202.19	151.64	50.55	0.00	0.00	50.55	**23.90**	**6.43**	**30.33**
			योग -	**1077.51**	**495.80**	**581.71**	**20.33**	**0.00**	**561.38**	**312.97**	**84.24**	**397.21**

अवमुक्त धनराशि रू0 397.21 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तानबें लाख इक्कीस हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,12,97,000 (रुपये तीन करोड बारह लाख सत्तानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 5054041010 421 कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 84,24,000 (रुपये चौरासी लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07- जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-111 **/ 2022 / 814 / 001-23-10-22-45-सा0-2022टी0सी0**, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।